UPSR010014452024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।

पीठासीन अधिकारी– (निर्दोष कुमार), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP**01659

परिवाद संख्या–61/2024

श्रीमती उषा देवी पत्नी हरपाल निवासी ग्राम–मोहम्मदपुर भजा, थाना–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत, उत्तर प्रदेश ––––––– परिवादिनी/वादिनी

बनाम

1– नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र बालिस्टर सिंह यादव

2– संजय शर्मा पुत्र देवेन्द्र कुमार शर्मा

3– बालिस्टर सिंह यादव पुत्र नत्थूलाल

4– ख्यालीराम पुत्र परसादी लाल

5– श्रीमती वीरावती पत्नी बालिस्टर सिंह यादव

निवासीगण–लंगूरा, थाना–भमौरा, जनपद–बरेली।

––––––––विपक्षीगण।

दिनांक–07–02–2025

1– प्रस्तुत मामले में प्रारम्भिक रूप से परिवादिनी की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–18/2024 अंतर्गत धारा–363,376 डी, 328,323,506 भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो अधिनियम व धारा–66E आई०टी० एक्ट, थाना–नवीन मॉर्डन पुलिस थाना, जिला श्रावस्ती के प्रकरण में मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा मामले में सम्पूर्ण विवेचना करने के पश्चात घटना कारित होने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुये अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जिस पर विरोध याचिका वादिनी द्वारा दाखिल की गयी जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

2– पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि वादिनी ने थानाध्यक्ष नवीन मॉर्डन पुलिस थाना श्रावस्ती को एक तहरीर दिनांक–07–03–2024 को इस आशय से दिया कि "प्रार्थिनी ऊषा देवी पत्नी हरपाल ग्राम मोहम्मदपुर भजा, थाना–बीसलपुर जिला पीलीभीत की रहने वाली हूँ। **दिनाँक 06/03/2024 को प्रार्थिनी अपनी पुत्री पीड़िता के साथ दवा लेने सरकारी अस्पताल, बीसलपुर गयी थी** मैने पर्चा बनवाया और दवाई लेने चली गयी और अपनी बेटी पीड़िता को अस्पताल गेट पर बैठा कर गयी थी जब मैं दवा

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2025.02.07 13:16:00 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

लेकर लौटी तो मेरी बेटी पीड़िता नहीं थी मैंने काफी तलाश और खोज बीन की परन्तु मेरी बेटी नही मिली **दिनाँक 07/03/2024 को मोबाइल द्वारा सूचना मिली कि मेरी बेटी अस्त व्यस्त हालत में नवीन मॉर्डन थाना श्रावस्ती पुलिस को मिली** है तब प्रार्थिनी अपने परिचित को लेकर श्रावस्ती आयी तथा अपनी नाबालिग बेटी पीड़िता से मिली तो उसने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि **जब आप दवा लेने अस्पताल के अन्दर गयी थी तो लंगुरा गाव का नरेन्द्र मुझे बहला फुसला कर अपने गाव ले गया था। वहां नरेन्द्र का दोस्त संजय शर्मा मिला ये दोनो संजय के ट्यूवेल पर ले गये पहले नरेन्द्र ने मेरे साथ दुष्कर्म किया फिर संजय शर्मा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया।** संजय शर्मा ने मेरे नंगे फोटो भी खींचे, फिर नरेन्द्र और संजय मुझे नरेंद्र के घर ले गये तो **नरेंद्र के माता पिता मुझे देखकर कलेस करने लगे** और नरेन्द्र की माँ ने कहा कि इस लड़की को जहाँ से लाये हो वही छोड़कर आओ वरना हम सब फस जायेंगे। **कुछ देर बाद नरेन्द्र के पिता बालिस्टर और उनके दोस्त ख्याली राम एक सफेद रंग की चार पहिया गाड़ी लेकर आये। ये सभी लोग मुझे कही दूर नेपाल की तरफ मार कर फेकने की साजिश कर रहे थे**। इस पर नरेन्द्र की माँ ने नशीली दवा मिला कर चाय पिलायी जिससे मुझे चक्कर आने लगे इन सब ने मुझे गाडी में बैठाल दिया और बालिस्टर और ख्याली राम ने अपने मोबइल नरेन्द्र की माँ को दे दिया और कहा कि हम अपने मोबाइल ले जायेंगे तो हम लोग फँस सकते है। कुछ दूर गाड़ी चलने पर मैं बेहोश हो गयी। बहुत देर बाद मुझे होश आया तो **रास्ते में ख्याली राम और बालिस्टर को जब भी मौका मिलता तो मेरे पेशाब की जगह में बार–बार उंगली डालकर परेशान करते थे**। परेशान होकर जब मैने शोर मचाया तो **बालिस्टर और ख्याली राम ने मुझे मारा पीटा** और कहा कि ज्यादा शोर मचायेगी तो यही मार कर फेंक देंगे। समय **करीब सुबह 4:00 बजे एक कच्चे रास्ते पर मुझे गाड़ी से उतार कर** जान से मारने के उद्देश्य से ख्याली राम और बालिस्टर ने मेरा गला दबाया इतने में किसी व्यक्ति ने टॉर्च की रोशनी मारी **तो ख्याली राम और बालिस्टर गाड़ी चालू करके भाग गये। मैं किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंची** तो पुलिस ने मेरी मम्मी को फोन किया तो मेरी मम्मी काफी देर बाद आ गयीं। श्रीमान जी नवीन मॉर्डन थाना श्रावस्ती पुलिस द्वारा दी गयी सूचना पर मै थाने जा कर मिली आप बीती सुन कर मैने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र दे रही हूं। अतः महोदय से निवेदन है कि न्याय संगत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दर्ज करके मेरी बेटी का मेडिकल कराने की कृपा करे।"

3– वादिनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–18/2024 धारा–363,376 डी,328,323,506 भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा–66E आई०टी० एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त प्रश्नगत मामले में अन्तिम आख्या प्रेषित की है।

4– उक्त अंतिम आख्या पर परिवादिनी को नोटिस जारी की गयी जिस पर उसने

न्यायालय उपस्थित आकर अपना प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में मामले के तथ्यों का उल्लेख किया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि मामले की एफ०आई०आर० स्वयं वादिनी व उसकी अवयस्क पीड़िता ने थाने पर अविलम्ब दर्ज करायी थी। **एफ०आई०आर० दर्ज होने के दौरान वादिनी व पीड़िता ने अपने आप को अनुसूचित जाति का होना बताया था परन्तु इसके बावजूद भी एफ०आई०आर० अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम की धाराओं में अंकित नहीं की गयी**। विवेचक एवं पुलिस टीम द्वारा वादिनी व उसकी लड़की पीड़िता को विवेचना में सहयोग करने के बहाने थाने के बाहर बुलाकर प्राइवेट गाडी में बैठा लिया जाता था। विवेचक ने कई बार वादिनी व पीड़िता को अभियुक्तगण के समक्ष भी पेश किया और **विवेचक एवं अभियुक्तगण ने मिलकर दिनांक–09–03–2024 को समय करीब 2.00 बजे बरेली से बीसलपुर मार्ग पर ले गये जहां नामजद अभियुक्त संजय व नरेन्द्र पहले से मौजूद थे**। फिर विवेचक ने अभियुक्तगण के साथ खाना गया और मुकदमा खत्म करने के एवज में 5,00,000/– रूपये लिये। **दिनांक–10–03–2024 को <u>जनसुनवाई पोर्टल से एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र</u> के माध्यम से सम्पूर्ण घटना की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी**। जब इस बात की जानकारी विवेचक को हुयी तो विवेचक एवं महिला सिपाही द्वारा वादिनी को भद्दी–भद्दी गालियां दी गयी और थाने से भगा दिया। **विवेचक ने पीड़िता को धमकी दिया कि धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान में बलात्कार करने की बात को दोबारा कहा तो उसकी मां और उसको थाने से वापस नहीं जायेगे तुम्हें नारी निकेतन भेजवा देगे**। इस प्रकार पीड़िता ने अपने बयान धारा–164 दं०प्र०सं० में बलात्कार किये जाने की बात माननीय न्यायाधीश को भयवश नहीं बताया। वादिनी एवं पीड़िता ने एफ०आई०आर० एवं अपने बयान धारा–161 दं०प्र०सं० में घटना का पूरा ब्यौरा देते हुये समर्थन किया है। विवेचक द्वारा की गयी विवेचना से स्पष्ट है कि विवेचक ने अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने का प्रयास बखूबी किया है। विवेचक ने अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास को जानबूझकर नजरअंदाज किया। अभियुक्त ख्यालीराम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–71/2024 धारा–376,323,504,506 भा०दं०सं० कोतवाली बिसौली जनपद बदांयू में दर्ज है। विवेचक ने अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने की नियत से अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय पर प्रेषित की है। मामले में की जा रही विवेचना में पुलिस द्वारा विकलांग असहाय एवं अभागी पीड़िता एवं उसकी अवयस्क पुत्री के विरूद्ध पुलिस द्वारा की जा रही निरन्तर प्रताडना, अन्याय एवं अत्यचार की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को समय–समय पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है परन्तु वादिनी एवं उसकी अवयस्क पुत्री की कोई सुनवाई नहीं हुयी। अतः प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार करके अन्तिम रिपोर्ट निरस्त करके स्टेट केस मानकार अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करें जिससे विकलांग वादिनी एवं उसकी अवयस्क पुत्री को न्याय मिल सके।

5– न्यायालय द्वारा परिवादिनी के प्रोस्टेट प्रार्थना पत्र को दिनांक–27–08–2024 को स्वीकार करते हुये परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश किया गया।

6– मामला परिवाद के रूप में दर्ज होने के उपरान्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–223 के परन्तुक के दृष्टिगत विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया तो विपक्षीगण की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। जिसमें यह कथन किया गया है कि परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक–21–08–2024 गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सम्पूर्ण साक्ष्य एवं तथ्यों को विवेचना में शामिल करते हुये पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–27–08–2024 स्वीकार की गयी है। वादिनी द्वारा दिनांक–21–08–2024 को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय **न्यायालय द्वारा पारित आंशिक आदेश दिनांकित–27–08–2024 "परन्तु वादिनी श्रीमती उषा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है" प्रचलित भारतीय कानूनों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, विधि प्राविधानों में पोषणीय नहीं है**। वादिनी का यह कहना सरासर गलत है कि विवेचना ठीक ढंग से नहीं की गयी है। वादिनी द्वारा विपक्षीगण पर षडयन्त्र के तहत गलत लोगों से मिलकर झूठी एफ०आई०आर० अंकित करायी गयी है। विपक्षीगण पूर्णतया निर्दोष है। सत्यता यह है कि **वादिनी पैसा वसूली गैंग में शामिल है और यह गैंग भोले भोले निर्दोष लोगों पर पैसा वसूलने की गरज से फर्जी मुकदमें पंजीकृत करवाकर अवैध रूप से पैसा वसूली करते हैं**। आपत्तिकर्ता ख्यालीराम द्वारा गैंग के मुखिया सुरकेश व अन्य सदस्यों पर क्राइम नं०–287/2023 थाना भमौरा बरेली में एफ०आई०आर दर्ज करवा दी थी। उक्त मामले में दबाव बनाने की गरज से **गैंग के मुखिया सुरकेश शर्मा द्वारा अपनी गैंग की सदस्य उषा देवी से एफ०आई०आर दर्ज करवायी गयी थी**। प्रश्नगत मामले की एफ०आई०आर में कहीं भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की बात अंकित नहीं की गयी है और न ही पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० में अंकित करवाये गये हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में अनूसूचित जाति/जनजाति का कोई मामला नहीं बनता है। आपत्तिकर्तागण द्वारा कोई धनराशि किसी को भी नहीं दी गयी, न ही कथित दिनांक, कथित समय, कथित स्थान पर कथित अभियुक्त संजय व नरेन्द्र मौजूद थे जो फोन लॉकेशन सी०डी०आर० के अनुसार स्पष्ट है। कथित मामले की पीड़िता से आपत्तिकर्तागण कभी नहीं मिले। आपत्तिकर्तागण की किसी भी विषय में कोई बात निरीक्षक अनिल उपाध्याय से नहीं हुयी। **पीड़िता द्वारा धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी स्वतंत्र इच्छा से माननीय न्यायालय में अंकित कराया है**। वादिनी द्वारा माननीय न्यायालय में अंकित कराये गये धारा–164 दं०प्र०सं० के बयानों पर प्रश्न चिन्ह् लगाया गया है। प्रश्नगत मामले में पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय मे

स्वतंत्र रूप से बिना किसी जोर दबाव, भय इत्यादि के स्वेच्छा से धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान अंकित कराये गये है जिसमें पीड़िता द्वारा घटना की पूरी तरह से खण्डन किया गया है और घटना घटित होने से स्पष्ट इन्कार किया है। प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद में दर्ज किये जाने का कोई विधिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। मामले में विवेचक द्वारा निष्पक्ष रूप से जाँच की गयी है। जाँच में वादिनी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार पाये गये जिस कारण विवेचक महोदय ने कथित मामले में अन्तिम आख्या प्रेषित की है। विवेचक ने निष्पक्ष रूप से विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये बिना किसी भेद भाव व लालच के मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच की गयी है। गैंग का मुखिया सुरकेश व्यक्तिगत रूप से आपत्तिकर्तागण से रंजिश मानता है। आपत्तिकर्तागण द्वारा सुरकेश व गैंग के लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले पंजीकृत कराये गये हैं। गैंग के लीडर सुरकेश का आपराधिक इतिहास है और उसके विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किये गये है। उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। **वादिनी उसी गैंग की सदस्या है, उसी गैंग के द्वारा एक षडयन्त्र के तहत फर्जी मामला पंजीकृत करवाया गया है।** वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में बल देने की गरज से मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये है जिनका विधि की दृष्टि में कोई स्थान नहीं है। **सुरकेश की पत्नी इंस्टाग्राम एकाउण्ट में वादिनी एवं पीड़िता मित्र है और गैंग के अन्य सदस्य महिलाएं जुड़ी है।** गैंग के मुखिया सुरकेश उसकी पत्नी अन्य सदस्यों से मिलकर निर्दोष लोगों पर झूंठे मुकदमें लिखाकर उनसे धन वसूली करते हैं। प्रस्तुत मामले में भी गैंग मुखिया के द्वारा अपनी गैंग सदस्या/वादिनी से झूठा एवं गलत मुकदमा रूपया वसूली के उद्देश्य से दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आख्या दिनांक–27–08–2024 को स्वीकार की गयी है। **अन्तिम आख्या रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बाद विधिक दृष्टि से उन्हीं तथ्यों पर संज्ञान लेने की कोई भी प्रक्रिया शेष नहीं बचती है।** प्रस्तुत मामले में भूरे पुत्र बुद्धी व ओमवीर पुत्र राजेन्द्र, सुरकेश शर्मा के गैंग का सक्रिया सदस्य है। गैंग के मुखिया के कहने पर ये लोग पैसा ऐठने की गरज से झूठी गवाही दी है। प्रस्तुत मामले में **लॉकेशन सी०डी०आर० के अनुसार संजय शर्मा व नरेन्द्र की लॉकेशन दिनांक 06–03–2024 व 07–03–2024 को बरेली में ही पायी गयी है वह व अन्य कथित आरोपी की लॉकेशन भी बरेली में ही पायी गयी है।** जबकि घटना बीसलपुर पीलीभीत बरेली से 65 किलोमीटर की दूरी की है। कथित घटना के स्थान पर कोई लॉकेशन नहीं पायी गयी है। संजय शर्मा उस समय शादी में उपस्थित थे। जिसका विवाह कार्ड एवं शादी के फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में आपत्ति के साथ संलग्न किये जा रहे है तथा नरेन्द्र बरेली कॉलेज, बरेली में एम०ए० प्रथम वर्ष की फीस जमा करने गया था जिसकी रशीद संलग्न प्रार्थना पत्र है। उसके पश्चात नरेन्द्र दिनांक–06–03–2024 व 07–03–2024 को अपने कार्यालय में मौजूद था जिसके सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में अभिकथित किया है कि मैं अपने मामा सुरेश मिश्रा व सुरकेश के

साथ दिनांक–06–03–2024 की शाम को श्रावस्ती गये थे। **फोन लॉकेशन के अनुसार सुरेश मिश्रा की फोन लॉकेशन दिनांक–06–03–2024 की शाम को बहराइच के आस पास पायी गयी थी।** सी०डब्लू०–5 अरूण कुमार ने अपने बयान में अन्य गवाहान द्वारा बतायी गयी घटना की तिथि का समर्थन नहीं किया है। आपत्तिकर्तागण, वादिनी एवं उनके आपराधिक गिरोह से सम्बन्धित फोटोग्राफ व अन्य अभिलेख संलग्न प्रार्थना पत्र कर रहा है। **उक्त फोटोग्राफ से सम्बन्धित महिलाओं द्वारा कई अन्य लोगों पर गलत मुकदमें पंजीकृत कराये है जिनकी एफ०आई०आर की छायाप्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र कर रहा है**। आपत्तिकर्ता बालिस्टर एवं संजय के भाई वर्ष 2015 में सुरकेश की पत्नी कृतिका के विरूद्ध ग्राम प्रधानी का चुनाव एक दूसरे के विरूद्ध लड़े थे जिसमें सुरकेश की पत्नी कृतिका चुनाव हार गयी थी तथा बालिस्टर चुनाव जीत गये थे। उक्त रंजिश के कारण गैंग का सरगना सुरकेश अपने गैंग के सदस्यों को माध्यम बनाकर उनसे आपत्तिकर्तागण को परेशान करने के उद्देश्य से मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त की एफ०आई०आर में वादिनी द्वारा नरेन्द्र, संजय, बालिस्टर, ख्यालीराम, नरेन्द्र की मां के अलावा किसी अन्य का नाम अंकित नहीं कराया गया है। परन्तु अपने बयान अन्तर्गत धारा–225 बी०एन०एस०एस० में ईशु व आकाश पाल का नाम गलत तीरके से ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अंकित कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि मुकदमा उपरोक्त की वादिनी व पीड़िता निर्दोष व्यक्तियों को पैसा वसूली हेतु झूठा मुकदमा लिखाकर ब्लैकमेल किया करती है। आपत्तिकर्तागण/विपक्षीगण बेकसूर है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अतः परिवाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7– परिवादिनी की ओर से धारा–223 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत सी०डब्लू०–1 के रूप में स्वयं वादिनी श्रीमती उषा देवी, सी०डब्लू०–2 पीड़िता, सी०डब्लू०–3 भूरे बुद्धी, सी०डब्लू०–4 ओमवीर शर्मा, सी०डब्लू०–5 अरूण कुमार को परीक्षित कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा स्वयं तलब कर सी०डब्लू०–6 श्रीमती मिथिलेश सिंह, सी०डब्लू०–7 महिला का० पूजा, सी०डब्लू०–8 पुष्पलता उपनिरीक्षक का बयान अंकित किया गया।

8– सी०डब्लू०–1 ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "दिनांक 06–03–2024 को मैं दवा लेने बीसलपुर सरकारी अस्पताल में गयी थी। मेरी लड़की पीड़िता मेरे साथ गयी थी। मैं दवा की लाइन में लगी थी। **समय करीब एक बजे मेरी लड़की गेट पर खडी थी** परन्तु जब मैं दवा लेकर वहां से आयी तो मेरी लड़की वहां पर नहीं थी। मैं उसे ढूंढती रही परन्तु वह नहीं मिली। मैंने रिश्तेदारियों में भी फोन करके पूछा परन्तु मेरी लड़की कहीं नहीं थी। मेरी लड़की की उम्र 14 साल है। **अगले दिन सुबह 7:30 बजे मेरे फोन नं०–6395656174 पर पूजा पुलिस का० का फोन आया और यह बताया कि आपकी लड़की थाने में श्रावस्ती में है** और आपका नम्बर उसने बताया है। तब मैं

शाहजहाँपुर के वकील श्री विनोद तिवारी को साथ लेकर गाडी से नवीन मॉर्डन थाना पहुँची। वहां पर मेरी लड़की मिली और उसने मुझे अपने साथ घटी घटना बतायी। लड़की ने बताया कि **नरेन्द्र निवासी लंगूरा (जिला बरेली) ने उसे दस–साढ़े दस बजे फोन किया था और बीसलपुर अस्पताल जाने की बात पता चलने पर कहा था कि मैं तुम्हें वहीं पर मिलुंगा और तुम मेरे साथ चलना।** नरेन्द्र अपने दोस्त संजय निवासी लंगूरा के साथ आया और पीड़िता को अपने घर पर ले गया। कार से ले गया था। नरेन्द्र की मां ने उसे डाँटा कि लड़की को कहां से लाये हो तो नरेन्द्र व संजय लड़की ट्यूबल पर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद बालिस्टर जो नरेन्द्र का पिता है और ख्याली जो बालिस्टर का दोस्त है, वहां पहुँच गये और लड़की को गाडी में डालकर श्रावस्ती लेकर आ गये। रास्ते में ख्याली व बालिस्टर लड़की के गुप्तांग में उंगली डाल रहे थे। गाडी ड्राइवर का नाम इशू था। रात के लगभग 3:00 बजे पीड़िता ने पेशाब करने के लिए कहा तेा सभी लोग गाड़ी से उतरे कि तभी किसी ने टार्च लगायी तो लड़की चिल्लायी तब वे लोग कार से भाग गये। **अज्ञात लोगों से लड़की ने कहा कि मुझे घर पहुँचा दो तो उन्होंने लड़की से घटना की बात पूछकर उसे थाने जाने के लिये बता दिया तो मेरी लड़की नवीन मॉर्डन थाना श्रावस्ती पहुँची**। मैंने थाना पर जो रिपोर्ट लिखायी थी वह मेरे साथ आये वकील साहब से टाईप करवाकर दी थी। पुलिस ने लड़की का बयान लिया और मेरा बयान नहीं लिया। **लड़की का बयान कराने पुलिस कोर्ट लाई थी तो मुझे थाने पर ही रख लिया था**। मुझे लड़की न्यायालय से पाँच दिन बाद मिली थी। **मेरा मोबाइल पुलिस ने 8 तारीख को ले लिया था और 15 तारीख को वापस किया।** ***मेरी लड़की ने बताया कि पुलिस का० पूजा ने बहुत डाँटा था और इसलिए उसने मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया है वह दबाव में पुलिस के कहने पर दिया है। दरोगा जी ने कहा था कि मेरी मम्मी को जेल भेज दिया है और जो मैं कहूँ वही बयान देना*****। दरोगा अनिल उपाध्याय ने उसे डाँटा था**। लड़की को लेकर मैं अपने घर चली गयी। **बयान होने से पहले दरोगा जी मेरे गांव भी गये थे और संजय की गाडी में ही लंगूरा गये थे। मुझे भी साथ लेकर गये थे। परन्तु वहाँ उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और मुल्जिमानों से साठ गाँठ कर ली**। वहां से बरेली के एक होटल में आये और खाना खाया और वहीं मुल्जिमानों से रूपये लिये। **मुल्जिमान की गाडी में ही पुलिस ने मुझे भी बैठा रखा था**। मुझसे दरोगा अनिल उपाध्याय ने कहा कि तुम अपने को जाटव मत बताओ, गंगवार बताओ और मुझे साथ में श्रावस्ती में थाने पर लाये और मेरी लड़की भी साथ में गाडी में थी। **मुझे पूजा का० के कमरे पर रखा था और लड़की को कहीं दूसरी जगह ले गये थे। शायद वन स्टाप सेन्टर में रखा था**। तब उसको डरा धमका कर उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया था।"

9– सी०डब्लू०–2 पीड़िता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मैं कक्षा–8 तक पढ़ी हूँ। अभी नहीं पढती हूँ। मैंने आठवीं पास मानसी पब्लिक स्कूल,

मोहम्मदपुर भजा से की है। मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुये थे। **मजिस्ट्रेट साहब को जो मैंने बताया था वह सही बात नहीं थी क्योंकि मुझे अनिल उपाध्याय दरोगा तथा पूजा सिपाही ने मारा पीटा था और कहा था कि हमारे हिसाब से बयान नहीं दोगे तो नारी निकेतन भेज देंगे। तुम्हारी मां भी जेल में रहेगी।** यह कहने को बोला था कि मेरे साथ कुछ नही हुआ है। मेरी मम्मी दिनांक 06–03–2024 को दवाई लेने बीसलपुर सरकारी अस्पताल में गयी थी और मैं साथ में गयी थी। मम्मी दवा लेने अन्दर गयी थी और मोबाइल मुझे देकर गयी थी। **मोबाइल पर संजय नाम के लड़के का फोन आया जिसे मैं पहले से जानती थी। क्योकि मैं नरेन्द्र नाम के लड़के से बात करती थी और संजय उसका दोस्त है।** संजय ने कहा कि नरेन्द्र गेट के बाहर गाडी लेकर खडा है। मैं अपनी मम्मी को फोन देकर गेट पर आयी आर नरेन्द्र के साथ गाडी में चली गयी। **उस दिन अस्पताल जाने से पहले भी संजय के फोन से नरेन्द्र ने फोन किया था। ऐसे ही बातचीत हुयी थी। मैं नरेन्द्र से प्यार करती थी**। नरेन्द्र मुझे गाडी में इधर उधर घुमाता रहा और शाम को **8–9 बजे मुझे गावं अपने घर लेकर गया**। घर ले जाने से पहले गावं के बाहर संजय मिला और **मुझे ट्यूबवैल पर ले गये और मेरे साथ दोनों ने बलात्कार किया**। ट्यूबवैल संजय की थी। फिर नरेन्द्र मुझे अपने घर लेकर गया। मुझे देखकर उसकी मां ने क्लेश कर दिया। **नरेन्द्र के पिता बालिस्टर आये तो उन्होंने कहा जहाँ से इसे लाये हो वहीं पर छोड आओ**। बालिस्टर के साथ दो लोग और आये थे जिनका नाम ख्यालीराम और आकाश पाल था। **उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड देते हैं**। मुझे गाडी में ले जाने लगे और रास्ते में मेरे साथ छेडछाड करने लगे। ड्राइवर का नाम इशू था। आकाश पाल वीडियो बना रहे थे और बालिस्टर व ख्यालीराम छेडछाड कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे कहां लेकर जा रहे हो तो कहा कि तुम्हारे घर छोडने जा रहे हैं। मैंने पेशाब जाने के लिए कहा तो धमकाया कि चुपचाप बैठी रहो वरना जान से मार देंगे। जब किसी आदमी ने टार्च लगायी तो मुझे छोडकर भाग गये। मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने मुझे थाने का पता बताया तो मैं थाने पर आ गयी। **मैंने थाने पर जाकर पूरी घटना बतायी तो थाने वालों ने मेरी मां को फोन किया**। **मैं थाने पर करीब सुबह चार–साढे चार बजे पहुँची थी**। मेरी मां लगभग दो–ढाई बजे थाने पर आ गयी थी। मम्मी ने एफ०आई०आर लिखायी। मेरा बयान पुलिस ने लिया था। मुझे वन स्टाप सेन्टर में पाँच–सात दिन रखा था। **मेरी दीदी मिलने आयी थी परन्तु मिलने नहीं दिया और मेरी मां से भी नहीं मिलने दिया। पूजा सिपाही भी वन स्टाप सेन्टर में मेरे साथ थी और उसी ने मारा पीटा था और बयान बदलने का दबाव बनाया था**। मुझे जेल भेजने की धमकी भी दी थी। **जब बयान दिलाने मुझे कोर्ट में लाये थे तो अनिल उपाध्याय दरोगा और पूजा सिपाही थी। मेरी मां को लेकर नहीं आये थे**। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठ बोल रही हूँ। और मजिस्ट्रेट को मैंने सही बात बतायी थी। सही बात यह है कि मैं डर गयी थी कि मेरी मां को जेल भेज देंगे और मुझे नारी निकेतन भेज देंगे।"

10– सी०डब्लू०–3 भूरे पुत्र बुद्धी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "घटना **06 मार्च 2024** की है। मैं घेरौरा बाजार से वापस आ रहा था। तब **मैंने देखा कि लड़की की बेज्जती कर रहे थे दो लोग**। मैंने एक लड़की को चिल्लाते सुना। **ट्यूबवैल रास्ते से करीब 10 मीटर दूरी पर था। वहां मैंने देखा कि दो लोग बेइज्जती कर रहे थे। संजू और नरेन्द्र लड़की की बेज्जती कर रहे थे। लड़की नंगी थी। तीनों नंगे थे। घटना रात के साढ़े नौ बजे की है।** वहां अंधेरा था। अंधेरा था परन्तु मेरे गावं के आदमी थे इसलिए मैंने उन लोगों को पहचान लिया। ट्यूबवैल कमरा बना है, **मैंने झरोखे से देखा था। फिर डर के मारे मैं चुपचाप चला आया था** अपने घर चला आया था। मैंने किसी को बताया नहीं था। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। जब मैं अपने घर पर था **उसी रात दस साढ़े दस बजे ईशू और बालिस्टर, ख्याली और आकाश गाडी से आये थे उसके बाद ये चारों लड़की को कहां लेकर गये हमें नहीं पता**। मुझे गवाही देने के लिए लड़की की मां ने कहा था तभी मैं गवाही देने आया हूँ। **मैंने घटना देखी है पूरे गावं को हल्ला है**। इसलिए लड़की की मां ने हमसे गवाही देने के लिए कहा। तभी मैं आया हूँ। मैंने लोगों को बताया था कि घटना देखी है। **वे लोग हिस्ट्रीशीटर हैं। पाँच मर्डर कर चुके है। इसीलिए गावं का कोई व्यक्ति बयान नहीं देता है**। मेरी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है न ही मेरे जानने व रिश्तेदार का कोई मारा गया है। साक्षी ने कहा कि **मैं अभियुक्त लोगों से नहीं डरता हूँ। सही बयान दे रहा हूँ**।"

11– सी०डब्लू०–4 ओमवीर शर्मा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "**घटना दिनांक–06–03–2024 की है। समय 10–11 बजे रात का था**। मैं अपनी गाय का भूसा लेने भुसैले में गया था। मेरा भुसैला बालिस्टर के घर के सामने है। वहां पर **कुछ देर बाद संजय और नरेन्द्र किसी लड़की को लेकर आये थे और बालिस्टर के घर के अन्दर चले गये**। कुछ देर बाद घर से शोर की आवाज सुनाई पडी **तभी ईशू गाडी लेकर आये तभी जल्दी से लड़की को गाडी में बैठाया और गाडी लेकर चले गये। गाडी में ईशू, बालिस्टर, ख्यालीराम, आकाश पाल मौजूद थे**। लड़की को कहां लेकर गये मुझे नहीं पता। सुबह गावं में चर्चा थी कि किसी लड़की को लेकर आये थे। **9 तारीख को श्रावस्ती की पुलिस गावं में आयी थी महिला का० व पुलिस वालों के साथ लड़की व उसकी मां थी। दिनांक–09–03–2024 को गावं में आयी थी। संजय ने कहा था कि तुम्हें शपथ पत्र देना है साथ में चलने के लिए तब मैं साथ में गया था। संजय ने विधायक रामचन्दर से बात की**। वह बोले कि अस्पताल आ जाओ तब संजय और मैं और पुलिस वाले अस्पताल गये थे। **विधायक जी ने कहा कि ले देकर निपटा लो तब मैं वहां था।** फिर कहा कि खाना खिला दो तब सब लोग होटल बीसलपुर के पास गये। **खाना खाकर संजय और इस्पेक्टर साहब कमरे में अन्दर गये और जब बाहर निकले तो अखबार में पैसे लेकर आये थे**। पुलिस वहीं पर से वापस श्रावस्ती आ गयी थी। **इंस्पेक्टर**

साहब ने कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा। ख्यालीराम इस समय जेल में है। फिर मैं अपने घर वापस आ गया।"

12– सी०डब्लू०–5 अरूण कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मैं टेक्सी गाडी चलाता हूँ। मेरे पास अपनी गाडी है। **मार्च 2024 की 4 तारीख थी**। **रात साढे 09 बजे की घटना है**। मैं दातागंज किया था। **बुकिंग छोडने जब मैं वहां से वापस आ रहा था तब 9:30 बजे रात के समय लंगूरा के पास ट्यूबवैल पर गाडी रोककर लैट्रिन करने गया था तो मैंने देखा कि दो लड़के, एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे**। फिर मैं डर की वजह से अपने ननिहाल लंगूरा में पहुँच गया तो मैंने केवल मामा को ही ये बात बतायी थी। ट्यूबवैल सडक से चिपका/लगा हुआ है। वहां मेरी गाडी खडी थी और कोई गाडी नहीं खड़ी थी। **ट्यूबवैल के अन्दर दो ईंटो का झरोखा था। उसी के जरिये मैंने देखा था।** अन्दर बल्ब जल रहा है। ट्यूबवैल भी चालू हालत में था। ट्यूबवैल गावं के पास ही है। गावं से ट्यूबवैल 200–250 मीटर की दूरी पर है। वहां से मैं अपने मामा के यहां चला गया। मैं अपने मामा के गावं लंगूरा चला गया ये बात मैंने अपने मामा से बताया था। फिर उसी रात एक घण्टे के बाद मैं अपने घर वापस चला आया।"

13– सी०डब्लू०–6 श्रीमती मिथिलेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मुझे वन स्टाप सेन्टर का प्रभार अगस्त 2024 से मिला है। **वन स्टाप सेन्टर पर आने वाली पीड़िताओं सम्बंधी पंजिका संख्या 6 के दिनांकित 08.03.2024 के क्रम संख्या 1 पर मुकदमा अपराध संख्या–18/2024 अन्तर्गत धारा–363,376 डी,328,323,506 भा०दं०सं० व 5/6 पॉक्सो अधिनियम व धारा 66 आई०टी० एक्ट पीड़िता पीड़िता पुत्री हरिपाल निवासी ग्राम मोहमम्दपुर भजा थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत आगमन समय 02:50 बजे ए०एम० पर अंकित है जो महिला आरक्षी पूजा पी०एन०ओ० नम्बर 212711523 के साथ आयी थी**। दिनांक 15.03.2024 को समय 02:06 पी०एम० पर पीड़िता की माता ऊषा देवी की सुपुर्दगी में सी०डब्लू०सी० के आदेशानुसार पीड़िता पीड़िता उसके मां के सुपुर्द किया गया। इस दौरान **दिनांक 08.03.2024 से दिनांक 15.03.2024 तक पीड़िता पीड़िता के साथ महिला कांस्टेबल पूजा के साथ वन स्टाप सेन्टर में ही मौजूद थी वो मुकदमें के सम्बंध में कही भी जाती थी तो महिला आरक्षी पूजा उसके साथ जाती थी**। आज मैं मूल रजिस्टर न्यायालय पर लेकर आयी हूँ जिसकी प्रमाणित प्रति में आज दाखिल कर रही हूँ। पीड़िता बालिका के साथ जो भी महिला आरक्षी आती है वह पीड़िता के आवासित रहने तक उसके साथ ही वन स्टाप सेन्टर में रहती है।"

14– सी०डब्लू०–7 महिला का० पूजा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मैं दिनांक–07–01–2022 से थाना नवीन मॉर्डन पुलिस थाना पर तैनात हूँ। **दिनांक–07–03–2024 को भी मैं थाना हाजा पर तैनात थी**। उस दिन मेरी ड्यूटी

किस समय से किस समय तक थी, मुझे याद नहीं है। मेरी ड्यूटी दिन के समय थी। **उस दिन एक लड़की पीड़िता थाने पर सुबह आयी थी**। जब वह आयी थी **तब तक सूरज नहीं निकला था**। पीड़िता पूरे दिन थाने पर ही रही थी और खाना भी थाने पर ही खिलाया था। **पीड़िता की मां भी थाने पर लगभग 2:00 बजे दिन में आ गयी थी**। मैंने पीड़िता का बयान भी उसी दिन थाने पर लिखा था जो उसकी मां के आ जाने के बाद लिखा था। शाम के समय दिन ढलने पर लिखा था। **रात को पीड़िता को लेकर मैं करीब 3:00 बजे (सुबह) वन स्टाप सेन्टर गयी थी। रात के तीन बजे तक पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पर ही बैठी रही**। पीड़िता का **मुकदमा रात के 12:00 बजे लगभग लिखा गया था**। मैंने पीड़िता का मेडिकल 08 तारीख को सुबह 10:00 बजे के बाद कराया था। पीड़िता दिनांक 15–03–2024 तक वन स्टाप सेन्टर में रही थी। सी०डब्लू०सी० में पीड़िता को कब पेश किया ध्यान नहीं है। फिर कहा कि 08 तारीख को ही सी०डब्लू०सी० के समक्ष सुबह 10:00 बजे पीड़िता को पेश किया था। जब तक पीड़िता वन स्टाप सेन्टर में रही मैं भी वन स्टाप सेन्टर में ही रही थी। मेरी जी०डी० में रवानगी वन स्टाप सेन्टर में रहने के लिये थी। पुनः साक्षी ने बयान दिया है कि आज मैं थाना हाजा से सम्बन्धित जी०डी० जो पूर्व तिथि पर निर्देशित किया गया था, लेकर उपस्थित हूँ। **जी०डी० संख्या–48 दिनांक–07–03–2024 के द्वारा मेरी रवानगी समय 23:05 बजे पीड़िता पीड़िता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना के लिये की गयी थी। मैं पीड़िता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना नहीं गयी बल्कि सीधे वन स्टाप सेन्टर आयी थी**। मुझे छोडने के लिए दरोगा जी इम्तियाज अली तथा का० रमाकान्त वर्मा भी साथ आये थे। मुझे छोडकर ये लोग वापस चले आये थे। उस समय थानाध्यक्ष पुष्पलता थी। **वन स्टाप सेन्टर के रजिस्टर की दिनांक 08–03–2024 की समय 6:26 पी०एम० की प्रस्थान की एन्ट्री मेरे हस्तलेख में है परन्तु मुझे ध्यान नहीं है कि रात में उस दिन कहां पर गये थे। जी०डी० नं०–45 दिनांक–08–03–2024 समय 21:08 पर यह इंद्राज है कि पीड़िता को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उसी दिन जी०डी० संख्या–48 से पीड़िता के साथ मेरी रवानगी समय 21:31 बजे निरीक्षण घटनास्थल हेतु की गयी है**। हम लोग **पीड़िता को लेकर पीलीभीत घटनास्थल पर गये थे**। सुबह के समय घटनास्थल पर पहुँचे थे। मुझे यह याद नहीं है कि वहां से वापस कब चले थे। **पीलीभीत के अलावा बरेली भी गये थे**। दो तीन जगह पर गये थे। केवल घटनास्थल पर गये थे **मुल्जिमान को पकडने उनके घर नहीं गये थे और न ही मुल्जिम मिले थे**। वहां से **10 तारीख को वापस दोपहर बाद थाने पर पहुँचे थे**। मेरे साथ थानाध्यक्ष पुष्पलता के अलावा एस०आई० राजकुमार सिंह, का० रमाकान्त वर्मा थे। फिर कहा **थाना इकौना के एस०एच०ओ० अनिल कुमार उपाध्याय भी साथ में गये थे**। ***पीड़िता को 09 तारीख की रात को होटल में रखा था।*** **पीड़िता की मां भी पूरी कार्यवाही के**

दौरान साथ में रही थी।"

15– सी०डब्लू०–8 पुष्पलता उपनिरीक्षक ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मैं दिनांक–07–03–2024 को थानाध्यक्ष के रूप में एन०एम०पी०टी० थाने में तैनात थी। मुकदमा अपराध संख्या–18/2024 धारा–363,376 डी, 328,323,506 भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा–66 (E) आई०टी० एक्ट मेरी उपस्थिति में लिखा गया था। इसकी विवेचना भी मेरे द्वारा ही प्रारम्भ की गयी थी। **मैंने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिखा था और उसका मेडिकल कराया था एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया था।** क्योंकि अपराध आई०टी० एक्ट से सम्बन्धित था और उसकी विवेचना निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना नियामनुकूल था। इसलिए मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी इकौना को रिपोर्ट प्रेषित करने पर विवेचना निरीक्षक श्री अनिल उपाध्याय को दे दी गयी थी। मेरे द्वारा केस डायरी का मात्र एक पर्चा किता किया गया था। पीड़िता ने जो बयान दिया था एफ०आई०आर के समर्थन में ही दिया था। **दिनांक–08–03–2024 को जी०डी० संख्या–45 में इस आशय का उल्लेख नहीं है कि घटनास्थल का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त पीड़िता को कहां रखा गया परन्तु पीड़िता वन स्टॉप सेन्टर वापस भेजा गया था।** वन स्टॉप सेन्टर के रजिस्टर की छायाप्रति देखने पर यह बताया कि **पीड़िता को लेकर पुलिस टीम के साथ पीलीभीत उसी रात को गये थे। जिसकी इन्द्राज सी०डी० नं०–48 समय 21:30 बजे पर है।** हम लोग सुबह लगभग 5:00 बजे पीलीभीत पहुँच गये थे। वहाँ जाकर **घटनास्थल को ढूंढा गया और निरीक्षण किया गया। नक्शा बनाया गया या नहीं बनाया गया उसके बारे में मुझे नहीं पता** है क्योंकि उस समय इसकी विवेचना इंस्पेक्टर अनिल उपाध्याय कर रहे थे। **अभियुक्तगण के घर पर भी हम लोगों ने दबिश दी थी लेकिन वहां कोई नहीं मिला था। पूरी कार्यवाही में पीड़िता व उसकी मां हम लोगों के साथ रही है।** घटनास्थल केस डायरी देखने के उपरान्त साक्षी ने बताया कि **जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित कोई नक्शा संलग्न नहीं है।** हम लोग पुलिस टीम व पीड़िता **दिनांक–09–03–2024 की रात में वापस थाना एन०एम०पी०टी० लौट आये थे।** साक्षी की ओर से थाना एन०एम०पी०टी० की **जी०डी० संख्या–27 दिनांकित–10–03–2024 समय 11:05 बजे दाखिल की गयी। इस जी०डी० के अनुसार पीड़िता को महिला का० पूजा को सुपुर्द कर वन स्टॉप सेन्टर भिनगा भेजा गया था।** प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के समय पीड़िता की मां थाना से सूचना देने पर थाने पर आ गयी थी। **पीड़िता के मौखिक बताने पर मैंने प्रातः से रात तक एफ०आई०आर दर्ज नहीं की थी।** उसकी मां के तहरीर देने पर ही एफ०आई०आर लिखी गयी थी। **मैंने आज तक अपने कैरियर में मौखिक सूचना पर एफ०आई०आर नहीं लिखी है।** मेरी जानकारी में मौखिक सूचना मिलने पर स्वयं पुलिस की ओर से एफ०आई०आर लिखी जाती है। **पीड़िता की मां दिन में लगभग 02:00 बजे थाने पर**

आ गयी। परन्तु उसने तहरीर रात में दी थी। हम लोगो ने उसे समझाया था कि घटना जहाँ घटी है वहीं लिखाओ परन्तु वह जब नहीं मानी तो हमने मुकदमा लिखा था। **पीड़िता की मां थाना पर मौजूद थी और उसने पीड़िता की अभिरक्षा से मना नहीं किया था। फिर भी हमने सी०डब्लू०सी० के माध्यम से पीड़िता को वन स्टॉप सेन्टर पर भिजवाया था क्योंकि वह घटना धारा–363 भा०दं०सं० के मुकदमें की पीड़िता थी।** यह कहना गलत है कि मैंने मनमानी कार्यवाही की हो और विधिअनुसार ससमय सभी कार्यवाहियां न की हो।"

16– परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

17– प्रस्तुत मामले में एक मुख्य बिन्दु यह है कि पीड़िता ने न्यायालय में जो बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दिया है वह इस प्रकार है कि "" मैं कक्षा 8 में पढ रही थी मैं बीसलपुर मे आदर्श पब्लिक कन्या सेकेन्ड्री विद्यालयय में पढती हूँ। मुझे 2 से 3 साल हो गया है कक्षा 8 पास किये हुए। इधर मै रुदपुर अपनी मां के साथ रहती थी। मेरी मां रुदपुर में नौकरी करती है। मेरे मामा बीसलपुर पीलीभीत में रहते है। मेरे मामा जो बीसलपुर में रहते है। वह मेरे मुह बोले मामा है सगे मामा नहीं है। उनका नाम सुरेश है। सुरेश मामा व उनके एक दोस्त स्वर्गेश व सुरेश मामा की बीबी चांदनी दिनांक 28/02/2024 को मेरे रुद्रपुर घर पर आये थे। **मेरे मामा सुरेश ने मेरी मम्मी को फोन किया कि मुझे थोडा काम है। मैं पीड़िता को लेकर अपने घर बीसलपुर जा रहा हूँ उस समय मेरी मम्मी जाब पर थी।** दिनांक 28/02/24 को शाम को मामा सुरेश, मामी चांदनी व साम्रा के दोस्त स्वर्गेश मुझे लेकर सुरेश मामा अपने घर बीसलपुर ले गये। मेरे मामा सुरेश ने बोला कि पीड़िता बेटा मेरा एक काम कर दो मुझे एक मुकदमा लिखवाना है, मेरे साथ चले चलो। **फिर दिनांक 6/03/2024 को मैं मामा सुरेश व उनके दोस्त स्वर्गेश के साथ यहा श्रावस्ती में एक थाने पर आयी।** मामा ने मुझे थाने से 1 से 1.5 K.M पहले ही छोड़ दिया और बोला कि जाओ थाने पर संजय नरेन्द्र बलिस्टर, ख्याली राम के मुकदमा लिखवा दो। मामा ने मुझे बहला फुसला कर थाने पर भेजा था तो मैने थाने पर संजय, नरेन्द्र बलिस्टर व ख्याली राम के बारे मे शिकायत कर दी जबकि सच्चाई यह है कि मेरे साथ किसी ने भी कोई गलत काम नही किया है। सुरेश मामा के कहने पर ही मैने उम्र 13 वर्ष बतायी है। जबकि मैं 17 वर्ष की हूँ। और कक्षा 10 में रुद पुर में पढ़ रही हूँ। मै ओम पब्लिक स्कूल समगान भूमि रुद्रपुर उत्तराखण्ड में पढ़ रही हूँ। मेरे साथ किसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे मामा सुरेश के कहने पर ही यह झूठा मुकदमा लिखा गया है।" उक्त बयान के सापेक्ष पीड़िता के कथित मुंह बोले मामा सुरेश की संलग्न कॉल डिटेल के अवलोकन से यह विदित है कि दिनांक–28–02–2024 को उसके नम्बर से कोई भी कॉल वादिनी के नम्बर पर नहीं किया गया है। उक्त सुरेश की सी०डी०आर० में दिनांक–26–02–2024 से दिनांक–07–03–2024

तक एक भी कॉल वादिनी के नम्बर पर न तो की गयी है और न ही वादिनी द्वारा की गयी है। विवेचक द्वारा कथित सुरकेश उर्फ स्वर्गेश शर्मा के विरूद्ध कोई छानबीन सी०डी०आर० आदि संकलित करके नहीं की गयी है और यदि पीड़िता का उपरोक्त बयान सही माना गया तो सुरेश मिश्रा व सुरकेश उर्फ स्वर्गेश शर्मा के विरूद्ध विवेचक ने विवेचना करते हुये बालिका के लैंगिक मामलों में दुरूपयोग हेतु कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की है। इसके अतिरिक्त पीड़िता की बहन ने स्वयं उक्त सुरेश को विपक्षीगण का मोहरा बताते हुये डी०जी०पी० को पत्र लिखा था। ऐसी परिस्थिति में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही न किया जाना उक्त कथन की सत्यता की ओर इशारा करता है।

18– उपरोक्त बयान के पूर्व पीड़िता ने बयान प्रथम विवेचक **एस०आई० पुष्पलता** द्वारा अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० जो दिनांक–**08–03–2024** को अंकित किया है, उसमें पीड़िता ने तहरीर के अनुसार ही बयान दिया है और सारी घटना को तहरीर के अनुसार ही साबित किया है। पुनः धारा–**164 दं०प्र०सं०** का बयान दिनांकित–**12–03–2024** दर्ज करने के पश्चात अन्तिम **विवेचक क्षेत्राधिकारी इकौना** द्वारा दिनांक–**06–05–2024** को पीड़िता का मजीद बयान अंकित किया गया है जिसमें पीड़िता ने पुनः तहरीर में अंकित तथ्यों को दोहराया है और यह अतिरिक्त तथ्य बताये हैं कि वह नरेन्द्र से 9 महीने से प्यार करती थी। उसकी बातचीत नरेन्द्र से इंस्टाग्राम पर होती थी। शेष तथ्य तहरीर के समर्थन में ही पीड़िता ने बताये हैं। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० **थानाध्यक्ष इकौना/तत्कालीन विवेचक अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा** न्यायालय में दर्ज करवाया गया है। इससे यह परीलक्षित है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित बयान के पूर्व एवं पश्चात दो अलग–अलग पुलिस अधिकारीगण द्वारा जो बयान अंकित किये गये हैं उसमें पीड़िता ने घटना का पूरा समर्थन किया है। जिनमें से एक क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में वादिनी ने अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में ही यह उल्लेख किया है कि दरोगा अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा का० पूजा के माध्यम से पीड़िता को उत्पीड़ित किया गया और धमकाया गया कि यदि उनके हिसाब से मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया तो उसे नारी निकेतन भेज देगें और उसकी मां को जेल भेज देंगे। पीड़िता की मां को भी साथ में न्यायालय में नहीं लाया गया और थाने पर ही रोक लिया गया था। वादिनी के बयान में यह भी आया है कि उसका मोबाइल दिनांक–08–03–2024 से दिनांक–15–03–2024 तक पुलिस ने अपने पास लेकर रख लिया था। इससे कहीं न कहीं विवेचक इंस्पेक्टर अनिल उपाध्याय की विवेचना की कार्यवाही में निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह् लगता है और अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाना इंगित होता है। इस सम्बन्ध में वादिनी ने अपने मोबाइल नम्बर 6395656174 की कॉल स्टेटमेन्ट कागज संख्या बी–30/11 भी दाखिल की है जिसमें दिनांक–08–03–2024 के उपरान्त दिनांक–16–03–2024 पर ही कॉल होना पाया गया है। इससे भी वादिनी के कथनों की पुष्टि होती है।

19– वादिनी ने कागज संख्या बी–30/2 ता बी–30/3 के रूप में **जन सुनवाई शिकायत पोर्टल** का फार्म की छायाप्रति दाखिल की है जो दिनांक**–10–03–2024** को स्वाती सागर पुत्री हरपाल निवासी मोहम्मदपुर भजा, थाना–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत द्वारा पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार सम्बन्धी जिला श्रावस्ती के शिकायत क्षेत्र के बावत की गयी है। प्रार्थना पत्र में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह शिकायत की गयी है कि नवीन मॉर्डन थाना जनपद श्रावस्ती पर उसकी मां ने मुकदमा अपराध संख्या–18/2024 धारा–363,376 डी,328,323,506 भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा–66 आई०टी० एक्ट बनाम नरेन्द्र आदि पंजीकृत कराया था। जिसमें **उसकी बहन का मेडिकल कराने के लिए पुलिस दिनांक–08–03–2024 को उसकी बहन को जिला अस्पताल ले गयी। पूरा मेडिकल नहीं हो पाया तभी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस उसकी मां व बहन को लेकर अभियुक्त नरेन्द्र के गावं पहुँच गयी और सम्बन्धित पुलिस चौकी पर बैठकर <u>एक सुरेश नाम के व्यक्ति को बुलाया</u> और उसी के कथनों के आधार पर मामले को फर्जी व झूठा साबित करने के उद्देश्य से अभियुक्तगणों से पाँच लाख रूपया लेकर उनको बचाने का लगातार कुत्सित प्रयास किया** और उसकी **विकलांग मां व बहन को अनाधिकृत रूप से बन्धक बनाकर थानाध्यक्ष पुष्पलता रखे है** और उनका शारीरिक व मानसिक उत्पीडन करके खाना पानी नहीं दे रहे और **मोबाइल को अपने कब्जे में रख लिया** और किसी से बात नहीं होने दे रहे हैं। मुकदमे की विवेचक लगातार अभियुक्तगण को बचाने के लिए उसकी मां व बहन को गैर कानूनी दबाव बनाकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। **विवेचक लगातार धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान बदलने का दबाव बना रही हैं।** जब तक धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान न हो जाये तब तक अभियुक्तगण के ठिकाने पर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। **एक नाबालिग लड़की के साथ गम्भीर तरीके से उसका शारीरिक शोषण करके उसका मानसिक सन्तुलन बिगाड़ दिया है**। स्थानीय पुलिस द्वारा मुख्य रूप से सुरेश को मोहरा बनाकर प्रकरण को झूठा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और **दबाव बनाकर पीड़िता का झूठा बयान धारा–164 दं०प्र०सं० दर्ज करा सकते हैं**। इससे यह परीलक्षित है कि बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दर्ज कराने से पूर्व ही वादिनी की पुत्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० झूठा दर्ज कराने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है जिसमें **सुरेश नाम के व्यक्ति को मोहरा बनाकर पुलिस कार्यवाही कर रही है।** इससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि पीड़िता को जो बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दिनांक–12–03–2024 को दर्ज कराया गया है वह स्वतंत्र इच्छा से न होकर पुलिस के डर व दबाव में दिया गया है।

20– न्यायालय में पीड़िता का बयान धारा–225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत सी०डब्लू०–2 के रूप में दर्ज किया गया है। जिसमें उसने यह बताया है कि **उसने मजिस्ट्रेट**

साहब को जो बताया था वह सही बात नहीं था क्योंकि उसे अनिल उपाध्याय दरोगा तथा पूजा सिपाही ने मारा पीटा था और कहा था कि हमारे हिसाब से बयान नहीं दोगें तो नारी निकेतन भेज देगें और तुम्हारी मां जेल में रहेगी। यह कहने को बोला था कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। इस कथन का समर्थन वादिनी ने भी अपने बयान में किया है कि **लड़की का बयान कराने पुलिस कोर्ट लायी थी तो उसे थाने पर ही रख लिया था। उसका मोबाइल 8 तारीख को ले लिया था 15 तारीख को वापस किया था।** उसकी लड़की ने बताया कि पुलिस का० पूजा ने बहुत डाँटा था इसलिए उसने मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया है वह दबाव में पुलिस के कहने पर दिया है। दरोगा जी ने कहा था कि तेरी मम्मी को जेल भेज दिया है और जो मैं कहूं वही बयान देना। **बयान होने से पहले दरोगा जी उसके गावं भी गये थे और संजय की गाड़ी में ही लंगूरा गये थे। मुझे भी साथ लेकर गये थे**। परन्तु उन्होंने वहां कोई कार्यवाही नहीं की और मुल्जिमान से साठगांठ कर ली। **वहां से बरेली के होटल में आये और खाना खाया और वहीं मुल्जिमान से रूपये लिये।** मुल्जिमान की गाड़ी में ही पुलिस ने उसे भी बैठा रखा था। **उसे पूजा का० के कमरे में रखा था और लड़की को कहीं दूसरी जगह ले गये थे**। तब उसको डरा धमकाकर उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया था।

21– इस स्तर पर बाल कल्याण समिति की भूमिका भी पीड़िता को वन स्टॉप सेन्टर में रखे जाने के बावत नियम विरूद्ध कार्य करने व पुलिस की मनमानी में साथ देने की प्रतीत होती है क्योंकि वन स्टॉप सेन्टर में ऐसी बालिकाओ/पीड़िताओं को रखे जाने का प्रावधान है जिनका कोई संरक्षक न हो या संरक्षक अपने साथ रखने को तैयार न हो। जबकि प्रस्तुत मामले में पीड़िता की मां दिनांक 07–03–2024 को ही थाना एन०एम०पी०टी० पर आ गयी थी और उसकी उपस्थिति में ही पीड़िता को वन स्टॉप सेन्टर भेजा गया है जो मामले में की गयी कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह् लगाता है।

22– उपरोक्त दोनों गवाहान के द्वारा बताये गये तथ्यों का समर्थन पुलिस का० पूजा/सी०डब्लू०–7 के साक्ष्य से भी होता है। जिसमें उसने बताया है कि जी०डी० संख्या–45 **दिनांक–08–03–2024** समय 21:08 पर यह इन्द्राज है कि पीड़िता को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उसी दिन जी०डी संख्या–48 से पीड़िता के साथ उसकी रवानगी **समय 21:31 बजे** निरीक्षण घटनास्थल हेतु की गयी। **वह लोग पीड़िता को लेकर पीलीभीत घटनास्थल पर गये थे।** सुबह के समय घटनास्थल पर पहुँचे थे। पीलीभीत के अलावा **बरेली भी गये थे**। दो–तीन जगह पर गये थे। उसके साथ थानाध्यक्ष पुष्पलता के अलावा एस०आई० राजकुमार सिंह, का० रमाकान्त वर्मा व **एस०एच०ओ० इकौना अनिल कुमार उपाध्याय भी साथ में गये थे**। **पीड़िता को 9 तारीख की रात को होटल में रखा था**। **पीड़िता की मां भी पूरी कार्यवाही के दौरान साथ में रही थी**। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि 07–03–2024 को जी०डी० संख्या–48 के द्वारा उसकी

रवानगी समय 23:05 बजे पीड़िता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना के लिये की गयी थी। परन्तु वह पीड़िता को सीधे वन स्टॉप सेन्टर लेकर आयी थी। रात को **पीड़िता को लेकर करीब सुबह 3:00 बजे वन स्टॉप सेन्टर गयी थी। रात के 3:00 बजे तक पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पर बैठी रही।** उसने पीड़िता का मेडिकल 08 तारीख को सुबह 10:00 बजे के बाद कराया था। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि दिनांक–07–03–2024 की रात को सुबह 3:00 बजे पीड़िता को वन स्टॉप सेन्टर में दाखिल करने के उपरान्त प्रातः 10:00 बजे मेडिकल कराने ले जाया गया है और उसी रात में 21:08 मिनट पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त थाना एन०एम०पी०टी० पर लाया गया है और उसके बाद 21:31 बजे रात में ही पीलीभीत घटनास्थल के निरीक्षण हेतु ले जाया गया है। **पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में मेडिकल 2:00 बजे हुआ है।** एक बालिका पीड़िता के मामले में रात में इस प्रकार की कार्यवाही करना और रात में पीड़िता को ले जाकर पीलीभीत/बरेली होटल में रखना स्वयमेव कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है और कहीं न कहीं विवेचना पर प्रश्नचिन्ह् लगाता है। उल्लेखनीय है कि **जनपद पीलीभीत व बरेली में जो भी कार्यवाही पीड़िता व वादिनी को साथ ले जाकर की गयी है उसका कोई इन्द्राज न तो केस डायरी में किया गया है और न ही रवानगी जी०डी० इस कार्यवाही की तैयार की गयी** है।

23– सी०डब्लू०–7 ने यद्यपि यह कहा है कि केवल घटनास्थल पर गये थे मुल्जिमों को पकड़ने उनके घर नहीं गये थे और न ही मुल्जिम मिले थे। परन्तु इसके विपरीत सी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक पुष्पलता ने यह स्वीकार किया है कि वह लोग सुबह 5:00 बजे **पीलीभीत पहुँच गये थे वहां जाकर घटनास्थल को ढूंढा गया और निरीक्षण किया गया** परन्तु साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि नक्शा बनाया गया है या नहीं उसके बारे में उसे नहीं पता है **क्योंकि उस समय इसकी विवेचना इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपाध्याय कर रहे थे**। केस डायरी में देखने के उपरान्त साक्षी ने कहा कि **पीलीभीत घटनास्थल से सम्बन्धी कोई नक्शा संलग्न नहीं है**। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि **अभियुक्तगण के घर पर भी उन्होंने दबिश दी थी** लेकिन वहां पर कोई मिला नहीं था। पूरी कार्यवाही में **पीड़िता व उसकी मां उन लोगों के साथ रहे थे**। इससे यह परीलक्षित है कि अभियुक्तगण के निवास पर भी पुलिस पीड़िता व उसकी मां को साथ लेकर दिनांक–09–03–2024 को गये थे। पुलिस की यह जल्दबाजी और अभियुक्तगण के निवास तक पीड़िता व उसकी मां को साथ लेकर जाना तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० इस कार्यवाही के तीन दिन बाद कराया जाना किसी षडयन्त्र की ओर इशारा करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि **पीड़िता को जनपद पीलीभीत व बरेली लेकर जाने की अनुमति बाल कल्याण समिति या न्यायालय से भी विवेचक ने नहीं ली थी** और पूरी कार्यवाही मनमाने तरीके से नियमों को ताक पर रखते हुये की गयी है।

24– प्रस्तुत मामले में एफ०आई०आर० दर्ज करने में भी पुलिस के स्तर पर आना कानी व अत्यन्त विलम्ब (लगभग 20 घण्टे) कारित करना दर्शित है, क्योंकि का० पूजा ने न्यायालय में दिये बयान में यह बताया है कि उस दिन पीड़िता थाने पर सुबह आयी थी। जब वह आयी तब तक सूरज नहीं निकला था। पीड़िता पूरे दिन थाने पर ही रही थी। पीड़िता की मां करीब दिन में 2:00 बजे थाने पर आ गयी थी। उसकी मां के आने पर मुकदमा शाम के समय दिन ढ़लने पर लिखा था। रात को पीड़िता को लेकर करीब 3:00 बजे वन स्टॉप सेन्टर गयी थी। इस क्रम में तत्कालीन थानाध्यक्ष पुष्पलता ने सी०डब्लू०–8 के रूप में बताया है कि पीड़िता के मौखिक बताने पर उसने प्रातः से रात तक एफ०आई०आर दर्ज नहीं की थी। उसकी मां के तहरीर देने के बाद ही एफ०आई०आर लिखी गयी थी। पीड़िता की मां दिन में लगभग 2:00 बजे थाने पर आ गयी। परन्तु उसने रात में तहरीर दी थी। उसे समझाया था कि घटना जहाँ घटी है वहीं लिखाओं परन्तु जब वह नहीं मानी तो उसका मुकदमा लिखा था। इस सम्बन्ध में एफ०आई०आर के अवलोकन से यह विदित है कि वादिनी की रिपोर्ट दिनांक 07–03–2024 को समय 23:05 बजे लिखी गयी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी ने टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दिया है और अपने बयान में बताया है कि उसने अपने साथ आये वकील श्री विनोद तिवारी से टाईप करवा कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में रात को लगभग 11:00 बजे टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दिया जाना विश्वसनीय नहीं है और पुलिस की कार्यवाही प्राथमिक रूप से ही पीड़िता के साथ अन्याय पूर्ण प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के सुबह 4:00 बजे थाना बदहवास हालत में पहुँचने के बावजूद उसके द्वारा बतायी गयी चार पहिया गाड़ी पकडने के बावत पुलिस द्वारा कोई अर्लट या अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित करने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह् लगता है।

25– पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण दिनांक–08–03–2024 को समय 2:00 पी०एम पर कराया गया है। जिसमें उसने चिकित्सक को जो घटना का कथानक बताया है वह भी पूरी तरह से तहरीर में अंकित कथानक की पुष्टि करता है। चिकित्सक ने पीड़िता के पहने वस्त्र एवं नाखून क्लिपिंग तथा नशे की वस्तु एवं डी०एन०ए० के बावत ब्लड़ सैम्पल तथा प्यूबिक हेयर और बेजाइनल स्वैब की स्लाइड अस्पताल में सील किये हैं। परन्तु उक्त कपड़ों व सैम्पल को फॉरेसिंक जाँच हेतु विवेचक द्वारा नहीं भेजा गया है और जो बेजाइनल स्मेयर व स्वैब के सैम्पल पैथोलॉजी भेजे गये थे उनके सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट या चिकित्सक से पूरक आख्या प्राप्त नहीं की है, जिससे विवेचक की कार्यवाही एकतरफा अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने की प्रतीत होती है और इससे साक्ष्य संकलन में भी घोर लापरवाही दर्शित होती है जो घटना की सत्यता को साबित कर सकते थे।

26– सी०डब्लू०–4 ने भी अपने बयान में बताया है कि 9 तारीख को श्रावस्ती की पुलिस गावं में आयी थी। **महिला का० व पुलिस वालों के साथ लड़की व उसकी मां भी**

दिनांक–09–03–2024 को गांव में आयी थी। संजय ने कहा कि तुम्हें शपथ पत्र देना है। साथ में चलने को कहा तो उसके साथ गया था। **संजय ने विधायक रामचन्दर से बात की। वह बोले कि अस्पताल आ जाओ तब संजय व मैं और पुलिस वाले अस्पताल गये थे।** विधायक जी ने कहा कि ले देकर निपटा लो, तब मैं वहां था। फिर कहा कि खाना खिला दो तब सब लोग होटल बीसलपुर के पास गये। खाना खाकर संजय व इंस्पेक्टर कमरे में अन्दर गये और जब बाहर निकले तो अखबार में पैसे लेकर आये थे। पुलिस वहीं से श्रावस्ती आ गयी थी। **इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा**। इस साक्षी के बयान से भी वादिनी के बयान के अनुसार दिनांक–09–03–2024 को विवेचक अनिल कुमार उपाध्याय की मुलाकात अभियुक्तगण से होना साबित होता है और मामले में अभियुक्तगण का पक्ष लेने के तथ्य को बल मिलता है।

27– इस प्रकार पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण के पक्ष में बयान दिये जाने का कारण पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से मिल जुलकर दबाव बनाने हेतु पीड़िता व उसकी मां को प्रताड़ित किया जाना साबित है। जबकि पुलिस को उक्त बयान के पहले व बाद में दिये बयान में भी तथा इस न्यायालय में सशपथ बयान में भी पीड़िता ने तहरीर के अनुसार ही अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना कारित करने का बयान दिया है। पीड़िता की बहन ने जनसुनवाई पोर्टल में बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० से पूर्व ही समस्त तथ्य लिखकर बयान बदलने की साजिश की सूचना भी डी०जी०पी० को दी थी। इस प्रकार मुख्य बिन्दु जो उठाया गया था वह स्पष्ट तौर पर पुलिस के दबाव में उत्पीड़न का परिणाम होना साबित है।

28– विपक्षीगण ने दूसरा बिन्दु यह बताया है कि घटना के समय व उससे पहले तथा बाद में उनके मोबाइल की लॉकेशन घटनास्थल के आसपास न होकर काफी दूर थी। इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पत्रावली में संकलित किये गये सी०डी०आर० का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि विपक्षी संजय शर्मा के मोबाइल नम्बर 9410000441 से वादिनी के मोबाइल पर दिनांक–06–03–2024 को समय 12:44:22 बजे 17 सेकेन्ड की आउटगोईंग कॉल हुयी है जिससे पीड़िता के बयान की पुष्टि होती है कि उसकी मां के फोन पर संजय के फोन से कॉल आया था कि नरेन्द्र अस्पताल के गेट पर खडा है और वह वहां पहुँच जाये। इस दौरान संजय के मोबाइल की लॉकेशन तहसील–आवंला, जिला बरेली के गावं सरदार नगर की दर्शायी गयी है। **वादिनी के मोबाइल की लॉकेशन बीसलपुर में होना दर्शित है।** अभियुक्त नरेन्द्र की उक्त समय की लॉकेशन तहसील व जिला बरेली के मोहल्ला कालीबाड़ी में होना दर्शायी गयी है। मोबाइल की लॉकेशन किसी व्यक्ति की स्थिति नहीं बताती है बल्कि उसके मोबाइल की स्थिति बताती है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि **विवेचक ने अभियुक्तगण के मोबाइल बरामद न करके किस माध्यम से मोबाइल नम्बर प्राप्त किये हैं,** इसका उल्लेख केस डायरी में नहीं है। ऐसे में यह पुष्टिकारक

रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जिस नाम पर सिम जारी की गयी है वही व्यक्ति उस सिम को उपयोग में ला रहा हो। अतः मोबाइल लॉकेशन के आधार पर अभियुक्तगण की अन्यत्र उपस्थिति का निष्कर्ष देना उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि केस डायरी में यह अंकित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पहले भी मुकदमें दर्ज है और वह इस तथ्य की जानकारी न रखते हो कि मोबाइल के माध्यम से उनकी लॉकेशन पता की जा सकती है, यह विश्वसनीय नहीं है तथा अपराध करने हेतु यदि कोई व्यक्ति अग्रसर होता है तो अपना बचाव पहले से तैयार करने हेतु अपने मोबाइल फोन को किसी अन्य व्यक्ति को संचालित करने हेतु देकर भी जा सकता है। विपक्षी संजय ने स्वयं को फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का कार्य करना बताया है जबकि नरेन्द्र ने स्वयं को क्रियेशन बायोटेक कम्पनी में काम करना बताया है जिससे यह भी स्पष्ट है कि दोनों विपक्षीगण तकनीकी ज्ञान रखते हैं और मोबाइल लॉकेशन के बावत भी उन्हें अच्छी तरह जानकारी है। प्रस्तुत मामले में यह भी तथ्य साजिश की ओर इशारा करता है कि विपक्षी नरेन्द्र ने स्वयं पीड़िता को फोन न करते हुये विपक्षी संजय से उसे फोन कराया कि वह अस्पताल के गेट पर खड़ा है। विपक्षी संजय के पास इस तथ्य का कोई उत्तर नहीं है कि उसने पीड़िता की मां को उस दिन समय 12:44 बजे फोन क्यों किया था यदि उसकी कोई जान पहचान या बातचीत पहले से वादिनी/पीड़िता से नहीं थी।

29– तीसरा बिन्दु यह भी विपक्षीगण ने उठाया है कि न्यायालय द्वारा अन्तिम आख्या स्वीकार की गयी है और ऐसी दशा में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत करना विधि के विपरीत है। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुब्रत चौधरी उर्फ सन्तोष चौधरी व अन्य बनाम असम राज्य, 2024 आई०एन०एस०सी० 834 निर्णय दिनांकित–05–11–2024** में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुये यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय अन्तिम आख्या पर निर्णय करते हुये यदि यह पाता है कि प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद की प्रकृति की है तो वह अन्तिम आख्या को स्वीकार करने के बावजूद मामले को परिवाद के रूप में आगे सुनवाई कर सकता है। मा**ननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सफदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, तटस्थ उद्धरण संख्या–2008:ए०एच०सी०:2088, (निर्णय दिनांकित–16–05–2008)** में भी इसी बिन्दु पर स्पष्ट किया है कि अन्तिम आख्या स्वीकार होने के उपरान्त भी प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जा सकती है। अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय के आदेश पर विधि विरूद्ध होने का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

30– दौरान बहस विपक्षीगण ने यह भी तर्क दिया है कि वादिनी पैसा वसूली गैंग में शामिल है जिस गैंग का मुखिया उनके गांव का सुरकेश शर्मा है। सुरकेश शर्मा से विपक्षीगण की पहले से मुकदमें बाजी चल रही है जिसके क्रम में विपक्षी ख्यालीराम द्वारा गैंग के मुखिया सुरकेश व अन्य सदस्यों पर क्राइम नं०–287/2023 थाना भमौरा बरेली में एफ०आई०आर दर्ज करवा दी थी। उसी में दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया

है। उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण के उपरोक्त कथनों के सापेक्ष प्रस्तुत मामले की वादिनी के विरूद्ध कोई मुकदमा या अन्य ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें वह कथित सुरकेश शर्मा के गैंग की सदस्या के रूप में काम करना बतायी गयी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी अनुसूचित जाति की सदस्या है जबकि सुरकेश शर्मा दूसरी जाति से सम्बन्ध रखता है। दोनों के निवास स्थान भी अलग–अलग हैं। विवेचक ने भी दौरान विवेचना सुरकेश शर्मा व वादिनी के मध्य कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना नहीं बताया है बल्कि एक अन्य व्यक्ति सुरेश मिश्रा से वादिनी के मुंह बोले भाई का सम्बन्ध बताया है और उक्त सुरेश मिश्रा, सुरकेश शर्मा को दोस्त बताया है। परन्तु ऐसा अन्य कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं बतायी गयी है जिसमें सुरेश मिश्रा व सुरकेश शर्मा सहयोगी बताये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में विपक्षीगण के कह देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि वादिनी अपनी अवयस्क 14 वर्षीय पुत्री को इस्तेमाल करते हुये ऐसे घृणित व सामाजिक रूप से अस्वीकार्य अपराध में मात्र मुंह बोले भाई के सहयोग के लिये इतनी गम्भीर घटना में लिप्त करेगी। वादिनी के सम्बन्ध में ऐसा अन्य कोई मुकदमा भी नहीं बताया गया है जिसमें वादिनी ने इसी प्रकार से मुकदमा दर्ज कर किसी व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग की हो।

31– यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक ने अभियुक्तगण की उपस्थिति अन्यत्र दर्शाने के लिए जो साक्ष्य फोन की सी०डी०आर० केस डायरी के पर्चा नं० 7 में नकल की है उसका कोई स्त्रोत अंकित नहीं किया है कि उक्त सी०डी०आर० किस माध्यम से किस व्यक्ति से प्राप्त की है। विपक्षी नरेन्द्र के बावत क्रियेशन बायोटेक से सी०सी०टी०वी फुटेज व हनी फोटो स्टूडियो, बिल्सी (बदायूं) के फोटो कब्जा लेने की फर्द कागज संख्या ए–8/1 पर यह अंकित है कि आज दिनांक–29–03–2024 (29 में दो के स्थान पर पहले एक लिखा गया था।) को समय 16 को गौरव शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी–लंगूरा ,थाना भमौरा, जिला बरेली, उपस्थित थाना आये–––– को कब्जा पुलिस लिया गया। कब्जा में लेने के समय गवाहान 1– राजू उपाध्याय पुत्र श्री नारायण उपाध्याय निवासी–कांधरपुर, थाना–कैण्ट, बरेली के लिया गया। **उक्त फर्द पर किसी प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम या हस्ताक्षर नहीं है और मात्र गौरव शर्मा व राजू उपाध्याय के हस्ताक्षर अंग्रेजी में बने है। अन्य कोई हस्ताक्षर या नाम अंकित नहीं है।** ऐसी परिस्थिति में इन साक्ष्यों की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता अन्यन्त संदिग्ध है और मात्र खानापूर्ति किया जाना दर्शित होता है।

32– न्यायालय द्वारा केस डायरी में शामिल पेन ड्राइव को न्यायालय में चलवाकर भी देखा गया और इसका मजमून कागज संख्या ए–53 में अंकित किया गया। उक्त पेनड्राइव में एक मात्र फुटेज इस घटना में दर्शाये गये समयकाल से सम्बन्धित है जिसमें दिनांक–06–03–2024 को समय 13:20:37 बजे विपक्षी नरेन्द्र दुकान में प्रवेश करना बताया गया है और यह जगह रंगदाली रेस्टोरेन्ट बतायी गयी है। परन्तु उक्त फुटेज जिस प्रकार से विवेचक ने

प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न की है वह प्रमाणित एवं विश्वसनीय नहीं है और न ही विवेचक ने उक्त रेस्टोरेन्ट पर जाकर इस वीडियो की छानबीन की है और न ही जाँच हेतु एफ०एस०एल० भेजी है।

33– प्रस्तुत मामले में पीड़िता का बयान प्रारम्भिक स्तर से लेकर इस न्यायालय में दिये बयान तक एकरूपता रखता है सिवाय बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० जो मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस/विवेचक के नाजायज दबाव व डर में लिखाया जाना प्रथम दृष्टया साबित हो चुका है। पीड़िता ने एकरूपता से यह बताया है कि घटना दिनांक–06–03–2024 को अभियुक्त नरेन्द्र ने उसे बीसलपुर अस्पताल के गेट पर फोन के माध्यम से बुलवाया था और उसे वहां से लेकर अपने गांव लंगूरा, जिला बरेली गया था। वहां गावं के बाहर अपने दोस्त संजय के ट्यूबवैल पर उसने व उसके दोस्त संजय ने पीड़िता के साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाये। पीड़िता की आयु मेडिकल रिपोर्ट में 14 वर्ष अंकित है और शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर भी 13 वर्ष बतायी गयी है। किसी भी दृष्टि से पीड़िता की आयु 18 वर्ष नहीं होती है। यह भी साक्ष्य में आया है कि पीड़िता अभियुक्त नरेन्द्र को नौ माह से जानती थी और इन्स्टाग्राम पर उससे बातचीत करती थी। इसीलिए घटना दिनांक को विपक्षी नरेन्द्र के साथ उसके कहने से चली गयी। पीड़िता ने एकरूपता से यह भी बताया है कि विपक्षी ख्यालीराम व बालिस्टर उसे अभियुक्त नरेन्द्र के घर से चार पहिया गाड़ी में लेकर कहीं गायब करने के उद्देश्य से जा रहे थे और थाना एन०एम०पी०टी०, श्रावस्ती के आसपास गाडी रूकी तो किसी तरह उनके चंगुल से बच गयी और वह लोग भाग गये। पीड़िता के उपरोक्त कथनों की पुष्टि स्वयं वादिनी एवं पेश किये गये गवाहान सी०डब्लू०–3, सी०डब्लू०–4, सी०डब्लू०–5 के बयान से भी होती है। शेष प्रस्तावित अभियुक्तगण श्रीमती वीरावती, आकाश पाल व ईशु के बावत पीड़िता के बयान में एकरूपता का अभाव है और उनकी भूमिका प्रस्तुत मामले में स्पष्टतः साबित नहीं होती है। पीड़िता अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण को निम्नानुसार विचारण हेतु तलब किया जाना उचित होगा।

आदेश

अभियुक्त नरेन्द्र सिंह यादव को धारा–363,366,376 डी भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा–3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है।

अभियुक्त संजय शर्मा को धारा–376 डी भा०दं०सं० व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा–3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है।

अभियुक्तगण ख्यालीराम व बालिस्टर सिंह यादव को धारा–342, 201 सपठित धारा–511 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादिनी आवश्यक पैरवी/वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति 7 दिन के अन्दर करे। बादहू अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 05–03–2025 को पेश हो।

प्रस्तुत मामले के विश्लेषण में यह भी दृष्टिगत हुआ है कि विवेचक अनिल कुमार उपाध्याय इंस्पेक्टर द्वारा विवेचना के दौरान बालिका/पीड़िता को न्यायालय/सी०डब्लू०सी० की अनुमति के बिना वन स्टॉप सेन्टर से निकालकर रात्रि के समय दिनांक–08–03–2024 को जनपद पीलीभीत व बरेली अभियुक्तगण के निवास पर ले जाया गया है और एक रात बरेली के होटल में बिना किसी अनुमति के रखा गया है और इसका इन्द्राज केस डायरी व जी०डी० रवानगी में भी नहीं किया है जो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। **इस सम्बन्ध में विवेचक इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज हो।**

विभागीय जाँच हेतु भी **आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित की जाये** कि इस मामलें में एफ०आई०आर में देरी, विवेचना में लापरवाही एवं मनमानी तथा आदेश में वर्णित अन्य नियमों के उल्लंघन के दोषी पुलिसकर्मियों विशेषतः इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के विरूद्ध जाँच कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करें।

आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को भी इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के बावत जाँच व आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में जहाँ पीड़िता का कोई संरक्षक उपलब्ध हो और साथ ले जाने का इच्छुक हो ऐसे मामले में भी पीड़िता को वन स्टॉप सेन्टर किस मंशा के साथ प्रेषित किया गया है।

दिनांक 07–02–2025

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।